

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग,
लखनऊ

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम, यथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा दिनांक 07.12.2015 एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को वित्तीय वर्ष 2016-17 की सकल राजस्व आवश्यकता याचिका एवं वि० वर्ष 2013-14 की टू-अप याचिका तथा दिनांक 02.02.2016 को समस्त वितरण निगमों के टैरिफ प्रस्ताव मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। मा० आयोग द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दिनांक 29.03.2016 को स्वीकार करने के उपरान्त दिनांक 01.08.2016 को वि० वर्ष 2016-17 का टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया गया है।

वि० वर्ष 2016-17 हेतु निर्गत टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत सूचित किये जाते हैं :-

वित्तीय वर्ष 2016-17		वितरण निगम				
क्र० सं०	विवरण	प.वि.वि.नि. मेरठ	द.वि.वि.नि. आगरा	म.वि.वि.नि. लखनऊ	पू.वि.वि.नि. वाराणसी	केस्को कानपुर
1	ऊर्जा क्रय (मि०यू०)	37048.35	28452.12	23429.58	34022.26	4461.84
2	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	35128.96	26978.08	22215.74	32259.65	4230.68
3	यू०पी०पी०सी०एल० से ऊर्जा क्रय मूल्य (रु० करोड़)	14972.86	11498.75	9468.92	13749.88	1803.23
4	बल्क सप्लाय दर वितरण निगम हेतु (रु०/यूनिट)	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26
5	वितरण लाईन हानियाँ (%)	20.20%	23.82%	21.52%	21.57%	22.51%
6	कुल ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	28,032.91	20,551.90	17,434.92	25,301.24	3,278.36
7	कुल व्यय (बिना आर०ओ०ई०) (रु० करोड़)	17,098.72	13,337.87	11,223.17	16,476.60	2,137.98
8	घटायें : टैरिफ के अतिरिक्त अन्य आय (रु० करोड़)	21.14	40.00	29.15	22.7	7.39
9	घटायें : उ०प्र० शासन द्वारा अनुदान(रु० करोड़)	1,549.97	1,142.73	939.17	1,808.13	0.00
10	सकल राजस्व आवश्यकता (रु० करोड़)	15,527.60	12,155.14	10,254.86	14,645.76	2,130.59
11	वर्तमान विद्युत दरों पर अनुमानित आय (रु० करोड़)	15,614.56	10,315.65	9,456.27	12,953.97	2,123.02
12	वर्तमान दर के अनुसार शेष राजस्व अन्तर (रु० करोड़)	-86.95	1,839.49	798.59	1,691.80	7.57
13	पूर्व वर्षों का संकलित राजस्व अन्तर (वर्ष 2013-14 तक) (रु० करोड़)	784.31	10,258.36	8,030.53	9,022.84	704.23
14	दर वृद्धि से अतिरिक्त राजस्व आय (रु० करोड़)	373.25	237.59	285.33	641.29	41.76
15	अनुमोदित दरों पर कुल राजस्व अन्तर (रु० करोड़)	-460.21	0	0	0	-34.19
16	रेग्युलेटरी सरचार्ज के उपरान्त कुल राजस्व अन्तर (रु० करोड़)	0.00	9,956.42	7,751.80	8,633.86	610.27
17	ऊर्जा आपूर्ति की औसत लागत (रु०/यूनिट)	6.35	6.35	6.35	6.35	6.50
18	औसत व्हीलिंग चार्जेज (रु०/यूनिट)	0.572	0.572	0.572	0.572	0.609

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०वा० (2015-16)	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०वा० (2016-17)
एल०एम०वी०-1	घरेलू बत्ती, पंखा		
	क-ग्रामीण आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज		
	2 कि०वा० भार तक	₹ 180 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 180 प्रति कि०वा० प्रति माह
	2 कि०वा० से अधिक	₹ 200 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 200 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 50 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 50 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 2.20 प्रति यूनिट	₹ 2.20 प्रति यूनिट
	ख-सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 85 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 85 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 5.50 प्रति यूनिट	₹ 5.50 प्रति यूनिट
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी के लिए)		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 90 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 90 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	150 यूनिट/माह तक ₹ 4.40 प्रति यूनिट 151 से 300 यूनिट/माह तक ₹ 4.95 प्रति यूनिट 301 से 500 यूनिट/माह तक ₹ 5.60 प्रति यूनिट 500 यूनिट/माह से अधिक ₹ 6.20 प्रति यूनिट	प्रथम 150 यूनिट/माह तक ₹ 4.40 प्रति यूनिट अगले 151 से 300 यूनिट/माह तक ₹ 4.95 प्रति यूनिट अगले 301 से 500 यूनिट/माह तक ₹ 5.60 प्रति यूनिट 500 यूनिट/माह से अधिक ₹ 6.20 प्रति यूनिट
	घ- लाइफ लाइन उपभोक्ता		
फिक्स्ड चार्ज	₹ 50 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 50 प्रति कि०वा० प्रति माह	
इनर्जी चार्ज	0-50 यूनिट/माह तक ₹ 2.00 प्रति यूनिट 51-150 यूनिट/माह तक ₹ 3.90 प्रति यूनिट	0-50 यूनिट/माह तक ₹ 2.00 प्रति यूनिट 51-150 यूनिट/माह तक ₹ 3.90 प्रति यूनिट	
एल०एम०वी०-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा		
	क-ग्रामीण आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 450 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 600 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 65 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 65 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 3.00 प्रति यूनिट	₹ 3.50 प्रति यूनिट
	ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स		
	मीटर सहित संयोजन		
	इनर्जी चार्ज	₹ 18.00 प्रति यूनिट	₹ 18.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 1500 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 1600 प्रति कि०वा० प्रति माह
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन(सभी के लिए)		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 225 प्रति कि०वा० प्रति माह	2 कि०वा० तक ₹ 225/कि०वा०/माह 2 कि०वा० से 4 कि०वा० तक ₹ 275/कि०वा०/माह 4 कि०वा० से अधिक ₹ 355/कि०वा०/माह
	इनर्जी चार्ज	0-300 यूनिट/माह ₹ 6.70 प्रति यूनिट 301-1000 यूनिट/माह ₹ 7.10 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.25 प्रति यूनिट	प्रथम 300 यूनिट/माह ₹ 6.70 प्रति यूनिट अगले 301-1000 यूनिट/माह ₹ 7.75 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.95 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 600/कि०वा०/माह(अप्रैल से सितम्बर) एवं ₹ 475/कि०वा०/माह(अक्टूबर से मार्च)	₹ 500/कि०वा०/माह(अप्रैल से सितम्बर) एवं ₹ 375/कि०वा०/माह(अक्टूबर से मार्च)
	एल०एम०वी०-3	सार्वजनिक प्रकाश	
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	ग्राम पंचायत	₹ 1700 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 1700 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 2200 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 2600 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर निगम	₹ 3000 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 3500 प्रति कि०वा० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज		
	ग्राम पंचायत	₹ 120 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 120 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 150 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 150 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर निगम	₹ 160 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 160 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज		
	ग्राम पंचायत	₹ 5.75 प्रति यूनिट	₹ 5.75 प्रति यूनिट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 6.00 प्रति यूनिट	₹ 6.00 प्रति यूनिट
	नगर निगम	₹ 6.25 प्रति यूनिट	₹ 6.25 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	टी०ओ०डी० दर	टी०ओ०डी० दर
	18:00 से 06:00 बजे तक	0	0
06:00 से 18:00 बजे तक	(+)20%	(+)20%	
एल०एम०वी०-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ		
	अ-सार्वजनिक संस्थाएँ	अ- राज्य सरकार एवं उससे पोषित संस्थाएँ	अ- राज्य सरकार एवं उससे पोषित संस्थाएँ
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200 प्रति कि०वा० प्रति माह	2 कि०वा० तक ₹ 220/कि०वा०/माह 2 कि०वा० से 4 कि०वा० तक ₹ 230/कि०वा०/माह 4 कि०वा० से अधिक ₹ 240/कि०वा०/माह
	इनर्जी चार्ज	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 6.75 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.00 प्रति यूनिट	प्रथम 1000 यूनिट/माह तक ₹ 7.00 प्रति यूनिट अगले 1001-2000 यूनिट/माह तक ₹ 7.20 प्रति यूनिट 2000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.40 प्रति यूनिट
	ब-निजी संस्थाएँ	ब- संस्थाएँ (अ के अतिरिक्त)	ब- संस्थाएँ (अ के अतिरिक्त)
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 225 प्रति कि०वा० प्रति माह	3 कि०वा० तक ₹ 250/कि०वा०/माह 3 कि०वा० से अधिक ₹ 330/कि०वा०/माह
	इनर्जी चार्ज	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 7.10 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.30 प्रति यूनिट	प्रथम 1000 यूनिट/माह तक ₹ 7.75 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.95 प्रति यूनिट

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०वा० (2015-16)	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०वा० (2016-17)
एल०एम०वी०-5	निजी नलकूप		
	क-ग्रामीण आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 100 प्रति बीएचपी/माह	₹ 100 प्रति बीएचपी/माह
	अधिकतम लाईट लोड स्वीकृत	120 वॉट	120 वॉट
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 30 प्रति बीएचपी/माह	₹ 30 प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 1.00 प्रति यूनिट	₹ 1.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 75 प्रति बीएचपी/माह	₹ 75 प्रति बीएचपी/माह
	ख-शहरी आपूर्ति		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 75 प्रति बीएचपी/माह	₹ 75 प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 5.20 प्रति यूनिट	₹ 5.20 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 160 प्रति बीएचपी/माह	₹ 160 प्रति बीएचपी/माह
			बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामसभा के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है ₹ 100/बीएचपी/माह भुगतान करना होगा।
एल०एम०वी०-6	लघु एवं मध्यम उद्योग		
	क-शहरी आपूर्ति		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 225 प्रति कि०वा० प्रति माह	4 कि०वा० तक ₹ 245/कि०वा०/माह
			4 कि०वा० से 9 कि०वा० तक ₹ 255/कि०वा०/माह
			9 कि०वा० से अधिक ₹ 275/कि०वा०/माह
	इनर्जी चार्ज	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 6.60 प्रति यूनिट	1000 यूनिट/माह तक ₹ 7.00 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)
		1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.10 प्रति यूनिट	2000 यूनिट/माह तक ₹ 7.35 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)
			2000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.60 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमन्य।	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमन्य।
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	टी०ओ०डी० दर	टी०ओ०डी० दर
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 7.5%	(-) 7.5%
	06:00 से 17:00 बजे तक	0%	0%
	17:00 से 22:00 बजे तक	(+) 15%	(+) 15%
	विशिष्ट उपभोक्ताओं हेतु वैकल्पिक टी०ओ०डी०		
	06:00 से 22:00 बजे तक	(प्रतिबन्धित भार - संविदा भार का 15 प्रतिशत)	(प्रतिबन्धित भार - संविदा भार का 15 प्रतिशत)
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 15%	(-) 15%
एल०एम०वी०-7	जलकल		
	क-शहरी आपूर्ति		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 230 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 290 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 7.10 प्रति यूनिट	₹ 7.95 प्रति यूनिट
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।
एल०एम०वी०-8	राजकीय नलकूप		
	(1) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200 प्रति बीएचपी/माह	₹ 200 प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.80 प्रति यूनिट	₹ 6.80 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 1800 प्रति बीएचपी/माह	₹ 2100 प्रति बीएचपी/माह
एल०एम०वी०-9	अस्थायी संयोजन		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 3000 प्रति दिन	₹ 3500 प्रति दिन
	क. सार्वजनिक प्रकाश एवं उद्घोषणा (20कि.वा. तक एवं ₹ 100/कि०वा०/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि०वा० भार के लिए)		
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेले/त्योहारों में अस्थायी दुकान(2कि.वा. तक)	₹ 250 प्रति दिन/दुकान	₹ 300 प्रति दिन/दुकान
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	इनर्जी चार्ज		
	(1) व्यक्तिगत मकान निर्माण हेतु	₹ 6.50 प्रति यूनिट	₹ 7.00 प्रति यूनिट
		तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त	तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	₹ 7.85 प्रति यूनिट	₹ 7.95 प्रति यूनिट
		तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त	तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	₹ 150 प्रति कि०वा०/सप्ताह	₹ 200 प्रति कि०वा०/सप्ताह

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०व० (2015-16)				अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०व० (2016-17)			
एल०एम०वी०-10	विभागीय उपभोक्ता								
	(1) मीटर रहित संयोजन	फिक्सड चार्ज प्रति माह		फिक्सड इनर्जी चार्ज प्रति माह		सभी उपभोक्ताओं पर एल०एम०वी०-1 दर अनुसूची लागू होगी। हालांकि लाइसेन्सी, इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को "छूट" प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं			
	उपभोक्ता श्रेणी								
	चतुर्थ श्रेणी/परिचालीय वर्ग	₹ 160		₹ 180					
	तृतीय श्रेणी	₹ 190		₹ 225					
	अवर अभियंता एवं समकक्ष	₹ 260		₹ 425					
	सहायक अभियंता एवं समकक्ष	₹ 280		₹ 560					
	अधिशाली अभियंता एवं समकक्ष	₹ 300		₹ 595					
	अधीक्षण अभियंता/उप महाप्रबंधक एवं समकक्ष	₹ 550		₹ 700					
	मुख्य अभियंता (I&II)/महाप्रबंधक एवं उसके ऊपर	₹ 600		₹ 810					
	अतिरिक्त चार्ज - ए०सी० के उपयोग पर (अप्रैल से सितम्बर)	₹ 600 प्रति ए०सी० प्रति माह							
	(2) मीटर सहित संयोजन	घरेलू बत्ती पंखा (एल०एम०वी०-1) के "अन्य मीटरड" श्रेणी के अन्तर्गत रेट आफ चार्ज पर 50 प्रतिशत छूट							
	इस श्रेणी की दरें 1 जनवरी 2016 से एल०एम०वी०-1 के अन्य मीटर उपभोक्ताओं की भांति होगी तथा लाइसेन्सी द्वारा प्रदत्त छूट अनुमन्य होगी।								
एच०वी०-1	उद्योग रहित बल्क लोड								
	(क) वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)								
	डिमान्ड चार्ज								
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 270	प्रति के०वी०ए०/माह	100 के०वी०ए० तक	₹ 320/के.वी.ए./माह	100 के०वी०ए० से अधिक	₹ 360/के.वी.ए./माह		
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 250	प्रति के०वी०ए०/माह	100 के०वी०ए० तक	₹ 320/के.वी.ए./माह	100 के०वी०ए० से अधिक	₹ 360/के.वी.ए./माह		
	इनर्जी चार्ज								
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 7.10	प्रति के०वी०ए०एच०	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	₹ 7.60/के.वी.ए.एच.	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	₹ 7.95/के.वी.ए.एच.		
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 6.90	प्रति के०वी०ए०एच०	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	₹ 7.40/के.वी.ए.एच.	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	₹ 7.75/के.वी.ए.एच.		
	(ख) सार्वजनिक संस्थान हेतु (75कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)								
	डिमान्ड चार्ज								
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 250	प्रति के०वी०ए०/माह	100 के०वी०ए० तक	₹ 285/के.वी.ए./माह	100 के०वी०ए० से अधिक	₹ 300/के.वी.ए./माह		
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 240	प्रति के०वी०ए०/माह	100 के०वी०ए० तक	₹ 285/के.वी.ए./माह	100 के०वी०ए० से अधिक	₹ 300/के.वी.ए./माह		
	इनर्जी चार्ज								
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 6.90	प्रति के०वी०ए०एच०	प्रथम 2500 यूनिट/माह तक	₹ 7.20/के.वी.ए.एच.	2500 यूनिट/माह से अधिक	₹ 7.40/के.वी.ए.एच.		
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 6.70	प्रति के०वी०ए०एच०	प्रथम 2500 यूनिट/माह तक	₹ 7.00/के.वी.ए.एच.	2500 यूनिट/माह से अधिक	₹ 7.20/के.वी.ए.एच.		
एच०वी०-2	बड़े एवं भारी उद्योग								
	0.4 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर				11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर			
	11 के.वी. एवं अधिक विद्युत आपूर्ति पर क-शहरी आपूर्ति								
	आधार दर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर
	डिमाण्ड चार्ज (₹०/के०वी०ए०/माह)	250	240	220	220	250	240	220	220
	इनर्जी चार्ज (₹०/के०वी०ए०एच०)	6.65	6.35	6.15	5.95	6.65	6.35	6.15	5.95
	टाईम ऑफ द डे	टी०ओ०डी० दर				टी०ओ०डी० दर			
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 7.5%				(-) 7.5%			
	06:00 से 17:00 बजे तक	0%				0%			
	17:00 से 22:00 बजे तक	(+) 15%				(+) 15%			
						इंडकशन फरनेस/आर्क फरनेस, रोलिंग/री-रोलिंग मिल औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु 22:00 -06:00 समय काल में टी०ओ०डी० दरें (-) 7.5 प्रतिशत के स्थान पर (-) 20 प्रतिशत होगी।			
	विशिष्ट उपभोक्ताओं हेतु वैकल्पिक टी०ओ०डी०								
	06:00 से 22:00 बजे तक	(प्रतिबन्धित भार - संविदा भार का 15 प्रतिशत)				(प्रतिबन्धित भार - संविदा भार का 15 प्रतिशत)			
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 15%				(-) 15%			
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमन्य।				ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमन्य।			

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०व० (2015-16)	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०व० (2016-17)
एच०वी०-३	रेलवे ट्रेक्शन		
	(क) रेलवे ट्रेक्शन		
	डिमाम्ब चार्ज		
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	₹ 280 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 340 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	₹ 290 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 350 प्रति के०वी०ए०/माह
	इनर्जी चार्ज		
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	₹ 6.35 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.95 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	₹ 6.60 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 7.20 प्रति के०वी०ए०एच०
	न्यूनतम चार्ज	₹ 725 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 725 प्रति के०वी०ए०/माह
	(ख) मेट्रो रेल		
	132 के.वी. या कम आपूर्ति पर		
	डिमाम्ब चार्ज	₹ 125 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 125 प्रति के०वी०ए०/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 5.60 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 5.60 प्रति के०वी०ए०एच०
	न्यूनतम चार्ज	₹ 600 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 600 प्रति के०वी०ए०/माह
एच०वी०-४	लिफ्ट इरीगेशन		
	(a) डिमाम्ब चार्ज		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 290 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर	₹ 240 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 280 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 132 के.वी. पर	₹ 230 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 270 प्रति के०वी०ए०/माह
	(b) इनर्जी चार्ज		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 6.75 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 7.40 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर	₹ 6.50 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 7.25 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 132 के.वी. पर	₹ 6.25 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 7.05 प्रति के०वी०ए०एच०
	(c) न्यूनतम चार्ज	₹ 800 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 800 प्रति के०वी०ए०/माह

लागू रेग्युलेटरी सरचार्ज:

1. **रेग्युलेटरी सरचार्ज-1** : माननीय आयोग के आदेश दिनांक 18.04.2016 द्वारा समाप्त ।
2. **रेग्युलेटरी सरचार्ज-2**: माननीय आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2016-17, दिनांक 01.08.2016 के अनुपालन में दक्षिणांचल, मध्यांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम हेतु 4.28 प्रतिशत की दर से एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम हेतु 3.03 प्रतिशत की दर से देय होगा ।
3. **रेग्युलेटरी सरचार्ज-2** : माननीय आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2016-17, दिनांक 01.08.2016 के अनुपालन में केस्को, कानपुर क्षेत्र के घरेलू बत्ती पंखा एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं हेतु 3.91 प्रतिशत की दर तथा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 4.13 प्रतिशत की दर से पूर्व की भांति देय होगा ।

उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरें एवं रेग्युलेटरी सरचार्ज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से सभी चारो वितरण निगमों एवं केस्को में स्वतः लागू हो जाएँगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट(www.mvvn.in, www.dvvn.org, www.puvvn.up.nic.in, www.pvvn.org, www.kesco.co.in) एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन तथा उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट कमशः (www.uppc.org & www.uperc.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष

मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को

“राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें”